बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक–08.10.2018 को प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः– सूची संलग्न।

उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई।

2– **मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति छात्रावास अनुदान योजनाः–**

बताया गया कि अगस्त माह में 2921 छात्रों के खाते में (₹1000/– प्रति छात्र) राशि का अन्तरण कर दिया गया है। सितम्बर माह के भुगतान के लिये NIC को फाईल तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। एक सप्ताह के अन्दर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। पी0एफ0एम0एस0 द्वारा स्वीकृत आंकड़े एवं जिला स्तर पर लॉक्ड किये गये आंकड़ों में अन्तर पाया जा रहा है, पाये जा रहे अन्तर आंकड़ों का सुधार जिला कल्याण पदाधिकारी एवं NIC के स्तर से होना है।

निदेश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी NIC से सम्पर्क स्थापित कर आंकड़ों का सुधार सुनिश्चित करें तथा एक सप्ताह में राशि छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अंतरित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–नोडल पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

3– **छात्रावासों में खाद्यान्न योजनाः–**

बताया गया कि इस योजना के तहत् जिलों में राशि का आवंटन कर दिया गया है। जुलाई एवं अगस्त माह का खाद्यान्न आपूर्ति की जा चुकी है। 7 जिलों यथाः नालन्दा, कटिहार, सहरसा, सिवान, गोपालगंज, मधेपुरा एवं प0 चम्पारण द्वारा सितम्बर, 2018 के लिये खाद्यान्न आपूर्ति हेतु SIO निर्गत करने हेतु चालान के माध्यम से जिला खाद्य निगम में राशि जमा कर दी गई है।

निदेश दिया गया कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्रवाई करेंगें। (अनुपालन–सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

4– छात्रावासः–

बताया गया कि विभाग द्वारा 100 आसन एवं 200 आसन वाले छात्रावासों के निर्माण हेतु जमीन की आवश्यकता है।

निदेश दिया गया कि सभी जिला कल्याण पदाधिकारी छात्रावास निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध करायें। साथ ही निदेश दिया गया कि छात्रावासों में सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। छात्रावासों में साईकिल शेड, कॉमन रूम, गार्ड रूम की व्यवस्था की जाय।

भारत सरकार के द्वारा संचालित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत् किसी जिलों के द्वारा भूमि प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के द्वारा बताया गया कि 2 छात्रावासों हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा जा रहा है।

निदेश दिया गया कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना हेतु भूमि प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

5– <u>छात्रवृति योजना</u>

<u>(i) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना</u>

वर्ष 2017–18 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की जिलावार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिलों के द्वारा आवेदन पत्रों के सत्यापन से संबंधित कार्य अभी तक पूर्ण नही किया गया है, जिससे व्यय की कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

निदेश दिया गया कि जाँच के क्रम में संबंधित छात्र/छात्राओं से खाता संख्या प्राप्त किया जाय। जिन संस्थानों से आवेदन की हार्ड कॉपी अप्राप्त है, उन संस्थानों से आवेदन की हार्ड़कॉपी प्राप्त किया जाय। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भुगतान से सम्बन्धित लम्बित मामलों का शत प्रतिशत निष्पादन किया जाय तथा भुगतान से संबंधित कार्य योजना तैयार कर अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

आवश्यकतानुसार जिलों में तत्काल अतिरिक्त कंप्यूटर अथवा अन्य संसाधनों का प्रबन्ध कर कार्यों का निष्पादन किया जाय। वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय ताकि इस माह में प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध कराया जा सके। कुछ जिलों में वर्ष 2016–17 की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान लम्बित है। उसका अविलम्ब भुगतान किया जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि कार्यालय में कंप्यूटर सामग्री की कमी रहने के कारण कार्य निष्पादन में कठिनाई हो रही है। निदेश दिया गया कि जिलों

को अविलम्ब राशि उपलब्ध कराई जाय। सभी जिला आवश्यकता का आंकलन कर दो दिनों के अन्दर अधियाचना उपलब्ध कराये।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(ii) प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना

सितम्बर, 2018 तक 75% उपस्थिति के आधार प्री–मैट्रिक में अध्ययनरत् छात्रों/छात्राओं की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना है। शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा बताया गया कि जिला स्तर पर छात्र/छात्राओं की सूची संधारित है। विभागीय निदेश के आलोक में राशि वितरण का निदेश शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

6– आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन, सामग्री क्रय एवं निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा

(i) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का संचालन

सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी प्रत्येक माह आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निरीक्षण करते हुए विहित प्रपत्र में निरीक्षण टिप्पणी ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं यह भी निदेश दिया गया कि निरीक्षण के क्रम में पायी गयी कमियों को जिला स्तर से समाधान करने की कार्रवाई की जाय, साथ ही मरम्मति, पेयजल एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक राशि की माँग सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के साथ की जाय। विगत माह में आवासीय विद्यालयों के लिए विभाग के द्वारा गठित जाँच दल के निरीक्षण के दौरान छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कम पायी गई है। सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण कर छात्र/छात्राओं की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में दैनिक आवश्यकताओं, पेपर, मैगजीन, खेलकूद सामग्री एवं स्वच्छ जलापूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(ii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के लिए सामग्री क्रय

सभी आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के आवश्यकतानुसार सामग्रियों का क्रय के लिए जिला स्तर पर निविदा का प्रकाशन एवं जिला स्तरीय क्रय समिति की बैठक

आयोजित कर वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए सामग्री एवं पूर्ति मद के लिए आवंटित राशि व्यय की जाए।

CTMIS के अनुसार राज्य स्कीम से सामग्री एवं पूर्ति मद के लिए आवंटित राशि की व्यय संतोषजनक नहीं है। सामग्री एवं पूर्ति मद के लिए आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कर ली जाए। अगर राशि की आवश्यकता नहीं है तो जिला कोषागार के माध्यम से राशि प्रत्यार्पित कर दी जाए। भविष्य में आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्ति मद में किसी भी प्रकार की कमी की शिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारियों पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

आवासीय विद्यालयों में पुस्तकालय व्यय के लिए विभागीय पत्रांक–2439 दिनांक–09.10.2013 द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवासीय विद्यालयों आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा, भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के दरों एवं प्रावधानों में संशोधन की तालिका के क्रम संख्या–10 में पुस्तकालय व्यय के लिए निम्नांकित प्रावधान है:–

<u>पुस्तकालय व्यय</u>

(वार्षिक व्यय प्रति विद्यालय)

(क) प्राथमिक विद्यालय–₹1540/–

(ख) मध्य विद्यालय–₹6160/–

(ग) उच्च विद्यालय–₹10780/–

सामग्री एवं पूत्तियाँ मद के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विगत वर्षों एवं वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि से पुस्तकालय पर व्यय की गई राशि, संधारित पुस्तकों का प्रकार एवं संख्याकी अद्यतन विवरणी एवं पुस्तक संधारण हेतु क्रय की गई सामग्री के संबंध में अद्यतन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iii)<u>आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण/जीर्णोद्धार की समीक्षा</u>

आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिए गए :–

(i) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं के लिए को प्राथमिकता दी जाए तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जाए ताकि ससमय प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सके।

(ii) आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की पूर्ण योजनाओं को हस्तांतरित करने के पूर्व संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता के साथ निरीक्षण कर लिया जाए।

(iii) आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के निर्माण/जीर्णोद्धार की योजनाओं के साथ–साथ शौचालय–सह–बाथरूम, रनिंग वाटर आपूर्ति, विद्युतीकरण, नियमित रंग–रोगन एवं चाहरदिवारी इत्यादि का सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन निश्चित रूप से भवन निर्माण विभाग के माध्यम से विभाग को 15.02.2018 तक उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में निदेश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी, मधुबनी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा संबंधित कार्यपालक अभियंता से संपर्क स्थापित कर आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावास भवनों के मरम्मति/जीर्णोद्धार के कार्य को इस माह के अंत तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि विभागीय पत्रांक–2148 दिनांक 22.08.2017 द्वारा विभाग के माध्यम से संचालित राजकीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं वार्षिक रख–रखाव के लिए सामान्य अनुदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त सामान्य अनुदेश के अनुसार आवासीय विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं रख–रखाव का कार्य संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के स्तर पर कराये जाने के लिए समीक्षा एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राधिकार निम्न प्रकार से गठित की गयी है:–

क्रमांक	योजना की लागत	समीक्षा प्राधिकार	प्रशासनिक स्वीकृति
1	1,00,000/– तक	संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्राचार्य/प्रभारी प्रधानाध्यापक	जिला कल्याण पदाधिकारी
2	1,00,000/– से 5,00,000/– तक	जिला कल्याण पदाधिकारी	उप विकास आयुक्त

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवासीय विद्यालयों का अनुरक्षण ससमय समुचित तरीके से किया जाए।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(vi)<u>जमीन की उपलब्धता</u>

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय शिवहर एवं शेखपुरा के लिए चिन्हित भूमि को विभाग के नाम से हस्तांतरित कर संसूचित किया जाए।

अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय मुरौल (मुजफ्फरपुर), सिवान तथा आमस, (गया) के लिए कम से कम 3 से 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाए।

विभागीय पत्रांक–1967 दिनांक–31.07.17 एवं पत्रांक–2649 दिनांक–17.10.17 द्वारा "बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014" एवं न्यूनतम बाजार दर (MVR) पर भूमि की उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। निम्नांकित आवासीय विद्यालयों के लिए कम–से–कम 3 से 5 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी जाए:–

कमांक	जिला का नाम	आवासीय विद्यालय का नाम एवं पता	जमीन की उपलब्धता
1	2	3	4
1	भोजपुर	अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, आरा	0.5 एकड
2	मुंगेर	अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, मुंगेर	0.5 एकड
3	भोजपुर	अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, मौलाबाग भोजपुर	0.75 एकड़
4	भभुआ	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, मसानी भभुआ	1 एकड़
5	भभुआ	अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, भभुआ	1 एकड़
6	कटिहार	अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सौनैली कटिहार	1.2 एकड़
7	बेगूसराय	अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, भर्रा, बेगूसराय	1.5 एकड़
8	लखीसराय	अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, लखीसराय	1.5 एकड़
9	रोहतास	अनुसूचित जाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, चलनिया, रोहतास	1.69 एकड़
10	सहरसा	अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, अमरपुर सहरसा	2 एकड़
11	गया	अनुसूचित जाति आवासीय बालक प्राथमिक विद्यालय, फतेहपुर , गया	1.0 एकड़
12	गया	अनुसूचित जाति आवासीय बालक प्राथमिक विद्यालय, वजीरगंज , गया	0.4 एकड़
13	खगडिया	अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, अलौली, खगडिया	2.0 एकड़
14	गया	अनुसूचित जाति बालिक आवासीय प्राथमिक विद्यालय डुमरीया, गया	1.00 एकड़
15	रोहतास	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, नागाटोली , रोहतास	2.00 एकड़
16	रोहतास	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, बुधुआ, रोहतास	2.00 एकड़
17	रोहतास	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, सोली, रोहतास	2.00 एकड़
18	वैशाली	अनुसूचित जाति कन्या आवासीय उच्च विद्यालय, हाजीपुर, वैशाली	2..00 एकड़
19	भभुआ	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, कोल्हुआ भभुआ	1.02 एकड़
20	गया	अनुसूचित जाति आवासीय बालक प्राथमिक विद्यालय, मोहनपुर , गया	2.0 एकड़
21	भभुआ	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, आथन भभुआ	1.05 एकड़
22	भभुआ	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, सडकी भभुआ	1.05 एकड़
23	नालन्दा	अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, मुढारी नालन्दा	2.0 एकड़
24	पूर्णियां	अनु0 जनजाति आवासीय बालक उ0 विद्यालय, मुगलिया पूरनदाहा पूर्णियां	2 एकड़
25	गया	अनुसूचित जाति बालक आवासीय प्राथमिक विद्यालय गया टाउन गया	0.5 एकड़

26	गया	अनुसूचित जाति बालक आवासीय प्राथमिक विद्यालय मानपुर गया	1.0 एकड़
27	कटिहार	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय, कुमारीपुर नीमा कटिहार	2.00 एकड़
28	भभुआ	अनुसूचित जनजाति आवासीय बालक मध्य विद्यालय, सेमरा भभुआ	1.5 एकड़

विभिन्न जिलों से सूचना प्राप्त होती है कि छात्र/छात्राओं के स्वास्थ्य के प्रति विद्यालय प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है।

निदेश दिया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारी/ उपनिदेशक संचालित आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध कराये। आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का जीर्णोद्धार एवं मरम्मति कार्य कराने हेतु सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाय। दिसम्बर माह तक स्वीकृत बल के विरूद्ध शत् प्रतिशत छात्र/छात्रओं का नामांकन कार्य को पूर्ण किया जाय। कक्षाओं में छात्र/छात्राओं की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। अविलम्ब जिला स्तर पर गठित क्रय समिति की बैठक बुलाकर आवश्यक सामग्रियों का क्रय सुनिश्चित किया जाय और जिन–जिन जिलों के द्वारा सामग्री आपूर्ति मद में राशि की निकासी नहीं की गई है राशि निकासी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। छात्रावासों में दैनिक आवश्यकताओं यथा: पेपर, मैगजीन, खेलकूद सामग्री एवं स्वच्छ जलापूर्ति एवं अन्य देय सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। नये आवासीय विद्यालयों का हेतु भूमि प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय। प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वास्थ्य जाँच की जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

7– अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989

जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनीटरिंग समिति की बैठक नियमित किया जाए। विभागीय पत्रांक–240 दिनांक–01.02.2018 के द्वारा समिति की नियमित बैठक के लिए वर्ष 2018 के लिए त्रैमासिक रोस्टर निर्धारित है। विभागीय पत्रांक–2419 दिनांक–05.10.18 द्वारा वर्ष 2019 का रोस्टर जिलों को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्तमान वर्ष 2018 में पटना–3, नालन्दा–2, रोहतास–4, भभुआ–2, भोजपुर–3, बक्सर–3, गया–2, जहानाबाद–2, अरवल–2, नवादा–3, औरंगाबाद–2, सारण–4, सिवान–2, गोपालगंज–3, मुजफ्फरपुर–3, सीतामढ़ी–2, शिवहर–3, प0 चम्पारण–3, पू0 चम्पारण–2, वैशाली–3, दरभंगा–3, मधुबनी–3, समस्तीपुर–3, सहरसा–2, सुपौल–3, मधेपुरा–3, पूर्णियां–3, अररिया–2, किशनगंज–2, कटिहार–3, भागलपुर–3, बाँका–3, मुंगेर–3, लखीसराय–1, शेखपुरा–2, जमुई–2, खगड़िया–3, बेगूसराय–2 बैठकों का आयोजन किया गया है।

प्राप्त सूचना के अनुसार नालन्दा–1, भभुआ–3, गया–2, जहानाबाद–1, सिवान–2, शिवहर–1, पू0 चम्पारण–1, दरभंगा–1, सहरसा–1, अररिया–2, कटिहार–2, लखीसराय–3, शेखपुरा–2, जमुई–1, बेगूसराय–2 बैठक प्रस्तावित है।

बताया गया कि नियम, 17 के अनुसार वर्ष में कम से कम चार बैठक का आयोजन किया जाना है। अधिनियम/नियम के महत्व को देखते हुए जिला कल्याण पदाधिकारियों के द्वारा चार से अधिक बैठक का आयोजन करना चाहिये। नियम–12(4) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा दिये जा रहे पेंशन एवं राहत मुआवजा की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराया नहीं जा रहा है। विभाग द्वारा गत वर्ष आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने हेतु बारम्बार स्मारित किया जा रहा है। परन्तु जिला कल्याण पदाधिकारियों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराने में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारियों के द्वारा राशि उपलब्धता की कमी बतायी गई। परन्तु विभाग को ससमय अधियाचना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

निदेश दिया गया कि प्रस्तावित तिथि को सम्पन्न जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही विभाग को उपलब्ध कराया जाय। राशि की अधियाचना के साथ पूर्व में स्वीकृत/आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही विभाग द्वारा निर्धारित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के रोस्टर के आलोक में सभी जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के माध्यम से रोस्टर (तिथि) निर्धारित किया जाय। अधियाचना के साथ व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य भेजा जाय ताकि राशि आवंटित करने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

8–प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रः–

पूर्व से 7 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों यथाः पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर में संचालित है तथा गत वर्ष तीन नये प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र जिला पूर्णियॉ, मुंगेर तथा सहरसा में स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। नये प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु एक–एक लाख रूपया उपलब्ध कराया गया है। परंतु उक्त केन्द्रों के संचालन के संबंध में सूचना अप्राप्त है। संचालित केन्द्रों की उपलब्धि विभाग को प्रेषित नहीं की जा रही है और न ही केन्द्र के संचालनार्थ राशि की मांग की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। मात्र पटना एवं दरभंगा जिला से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है।

निदेश दिया गया कि शेष सभी जिलों के द्वारा वर्ष 2017–18 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराया जाय साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राशि आवंटन हेतु मांग पत्र भेजा जाय। नवसृजित केन्द्रों के संदर्भ में जिला पूर्णियाँ, मुंगेर एवं सहरसा को निदेशित किया गया कि अविलम्ब समुचित रूप से प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन सुनिश्चित किया जाय एवं प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

9–बिहार महादलित विकास मिशनः–

मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना द्वारा बताया गया कि सभी जिलों से सामुदायिक भवन निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना है। मात्र 7 जिला से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

निदेश दिया गया पूर्व में स्वीकृत/निर्मित सामुदायिक भवनों की जाँच करायी जाय। शेष जिला सामुदायिक भवनों का जाँच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के माध्यम से मिशन को उपलब्ध करायेंगें। साथ ही नये सामुदायिक भवन निर्माण हेतु भूमि प्रस्ताव मिशन को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

10–मैनुअल स्केवेंजर

अररिया, औरंगाबाद, बक्सर, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, नालन्दा, पटना, पूर्णियॉ, रोहतास, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी, सिवान तथा सुपौल जिला में मैनुअल स्केवेंजर का सर्वे कराया जा रहा है।

निदेश दिया जाता है कि सम्बन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी अपने जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें। मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन को निदेश दिया जाता है कि जिलों से समन्वय स्थापित कर अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगें तथा समेकित प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुपालन–मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

11– क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थापनाः–

(i)उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–70 दिनांक–05.10.2018 एवं पत्रांक–71 दिनांक–05.10.18 के आलोक में क्रमशः संविदा पर नियोजित कर्मियों तथा बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदत्त डाटा इंट्री ऑपरेटरों की सेवा के सन्दर्भ में उच्च स्तरीय समिति, सामान्य प्रशासन विभाग को बिन्दुवार प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है।

सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि उक्त के संबंध में बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार कर अचूक रूप से 3 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(ii)आवश्यकतानुसार Outsourcing कर्मियों का प्रयोग किया जाय। जिलों में पदस्थापित वैसे लिपिक/शिक्षक जिनका स्थानांतरण नहीं किया गया है उसकी विवरणी विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

12–वनाधिकार अधिनियम/SCA to TSP/Article 275(1)/PVTGs;-

(i) **वनाधिकार अधिनियम**– बिहार राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 लागू है। जिलावार स्वीकृत/लम्बित दावा आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नवत् है:–

क्रम सं0	जिला का नाम	प्राप्त दावा आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	अस्वीकृत आवेदन पत्र	लम्बित दावा
1	कैमूर	1290	0	1240	50
2	प0 चम्पारण	107	28	0	79
3	रोहतास	62	0	4	58
4	जमुई	87	20	67	0
5	गया	593	22	571	0
6	नवादा	256	4	252	0
7	मुंगेर	152	0	152	0
8	बांका	1811	24	1787	0
9	लखीसराय	338	0	338	0
10	औरंगाबाद	0	0	0	0
11	अररिया	0	0	0	0
12	नालन्दा	0	0	0	0

निदेश दिया गया कि स्वीकृत आवेदन पत्रों के विरूद्ध पट्टा देने की कार्रवाई की जाय तथा तत्संबंधी भूमि विवरणी उपलब्ध कराया जाय। लंबित आवेदन पत्रों के निष्पादन की कार्रवाई की जाय।

(क) सी0डब्ल्यू0 जे0सी0 सं0–12366/2014, जनमुक्ति संघर्षवाहिनी बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में प0 चम्पारण जिला द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर करने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद वनाधिकार अधिनियम से संबंधित है। अविलम्ब प्रतिशपथ पत्र दायर कर ओथ सं0 एवं तिथि के साथ प्रतिशपथ पत्र की प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(ii) **SCA to TSP/Article 275(1)**-

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता/ संविधान की धारा 275(1) में जिलों को विभिन्न आवंटनादेश के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई थी, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:–

क्रम सं0	जिला का नाम	Article 275(1) 2016 -17 Rs. In Lakh	SCA to TSP 2015-16 to 2017-18 Rs. In Lakh	कुल	आवंटनादेश सं0 ए दिनांक–
1	प0 चम्पारण	24.20	371.63	395.83	1–23 / 16.06.15– Rs.150.00Lakh, 2–1169 / 15.05.17– Rs.750.00Lakh, 3-131/28.03.17- Rs10.00Lakh, 4-37/29.06.17- Rs243.16Lakh, 5-133/28.03.17- Rs.133.00Lakh, 6-155/16.03.18- Rs.313.30Lakh, 7-156/16.0318- Rs.304.96 Lakh
2	बांका	9.10	134.98	144.08	
3	कटिहार	17.65	267.65	285.30	
4	पूणियाँ	13.60	210.80	224.40	
5	रोहतास	3.70	44.29	47.99	
6	कैमूर	6.40	82.98	89.38	
7	जमुई	8.20	119.37	127.57	
8	नवादा	1.45	5.69	7.14	
9	भागलपुर	7.30	105.43	112.73	
10	अररिया	4.60	58.03	62.63	
11	किशनगंज	6.85	99.30	106.15	
12	गया	1.45	4.55	6.00	
13	मुंगेर	2.80	22.64	25.44	
14	गोपालगंज	6.40	76.99	83.39	
15	सिवान	9.10	120.89	129.99	
16	सारण	4.60	22.38	26.98	
17	बक्सर	3.25	17.57	20.82	
18	भोजपुर	2.35	4.18	6.53	
19	लखीसराय	0.00	1.20	1.20	
20	सहरसा	0.00	0.87	0.87	
	कुल	133.00	1771.42	1904.42	

अनु0 जनजाति उपयोजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान की धारा 275 (1) के तहत् जिलों को राशि आवंटित की गई है। राशि के व्यय हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमिटि गठित है। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार का पहल नहीं की जा रही है। इस संबंध में संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करें।

(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

(iii)**PVTGs;-**

विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के समूहों/ आदिम जनजाति के लिये सामुदायिक भवन–सह–वर्कशेड के निर्माण हेतु जिलावार लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है:–

क्रम सं0	जिला का नाम	लक्ष्य (2016–17)	लक्ष्य (2017–18)	कुल	अभियुक्ति
1	भागलपुर	3	4	7	भागलपुर से लक्ष्य के विरूद्ध भूमि प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। किशनगंज से मात्र एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
2	बांका	1	1	2	
3	किशनगंज	1	1	2	
4	मधेपुरा	1	1	2	
5	सुपौल	1	1	2	
6	पूर्णियाँ	2	1	3	

वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 9 एवं 9 सामुदायिक भवनों का निर्माण आदिम जनजातीय क्षेत्रों में किया जाना था। लक्ष्य के विरूद्ध मात्र भागलपुर से भूमि संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अन्य जिलों यथाः पूर्णियाँ, किशनगंज, सुपौल, बांका, मधेपुरा से भूमि संबंधी प्रस्ताव अप्राप्त है। किशनगंज जिला से मात्र एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिससे राशि की स्वीकृति देने में कठिनाई हो रही है। मधेपुरा में अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालय की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है, जिसके संबंध में भूमि संबंधी प्रस्ताव वांछित है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक भवन एवं विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि संबंधी प्रस्ताव अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी अनु0 जनजाति उपयोजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता/संविधान की धारा 275(1) और विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के विकास हेतु आवंटित राशि के विरूद्ध बिना व्यय के पड़ी हुई राशि का आकलन करते हुए व्यय की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तथा यदि राशि प्रत्यार्पित की गई हो या चालान से राजकोष में जमा की गई हो तो कोषागार के माध्यम अनिकासी प्रमाण पत्र कारण सहित अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

13– अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजनाः–(SCA to SCSP)–

अनु0 जाति के बहुमुखी विकास हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत् विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार से विमुक्त राशि के तहत् वित्तीय वर्ष 2015–16 में आवंटनादेश सं0–164 दिनांक–21.03.2016 द्वारा 5362.64 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटनादेश सं0–116 दिनांक–20.03.2017 द्वारा 3885.91 लाख रू0 जिलों को उपलब्ध कराई गई है। जिलों के द्वारा इस योजना के तहत् निकासी की गई राशि एवं व्यय संबंधी प्रतिवेदन विभाग में नहीं भेजी जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस योजना से संबंधित केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत पत्र/मार्गदर्शिका जिलों को भेजी जाती रही है।

निदेश दिया जाता है कि संबंधित वित्तीय वर्षो में आवंटित की गई राशि की निकासी, व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराई जाय। अगर संबंधित वर्षो में राशि की निकासी नहीं की गई है तो इस आशय का अनिकासी प्रमाण पत्र कोषागार से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इस योजना के तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्ताव उपलब्ध कराई जाय।

(अनुपालन–सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

14-AC/DC –

ए0सी0/डी0सी के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा ए0सी0 विपत्र पर निकासी की गई राशि के समायोजन हेतु विशेष पहल नहीं की जा रही है। जिलावार लंबित ए0सी0/डी0सी0 से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	प्रमंडल/ जिला का नाम	लंबित AC/DC की राशि		AG में जमा करने हेतु अवशेष राशि
		आवंटित राशि	शेष राशि	
1	2	3	4	5
1	गया	808,525,772	232,831,382	97,073,864
2	पटना	443,000,362	41,951,707	31,631,707
3	जमुई	195,462,908	28,027,532	21,147,532
4	बेतिया	235,814,093	29,199,263	11,486,931
5	भभुआ	157,980,950	28,991,937	11,791,937
6	मधेपुरा	11,861,100	8,245,000	8,245,000
7	सुपौल	95,417,120	20,812,460	3,612,460

3	खगड़िया	12,250,043	3,480,050	3,480,050
9	औरंगाबाद	208,384,803	3,446,834	3,446,834
0	मुजफ्फरपुर	355,766,865	13,293,571	2,973,571
1	मधुबनी	164,929,356	6,055,477	2,615,477
2	गोपालगंज	118,877,486	1,115,520	1,115,520
3	मोतिहारी	116,816,117	642,560	642,560
4	दरभंगा	99,486,330	4,049,430	609,430
5	पूर्णियॉ	161,876,091	429,827	429,827
6	छपरा	256,243,160	3,775,160	335,160
7	अररिया	52,386,049	20,786,860	322,180
8	सिवान	248,354,430	7,084,600	204,600
9	नवादा	64,327,625	20,800,500	160,500
0	नालन्दा	215,964,990	347,950	47,950
1	कटिहार	93,687,600	10,003	10,003
2	सहरसा	3,872,102	7,000	7,000
3	समस्तीपुर	43,375,097	13,764,990	4,990
4	सीतामढ़ी	127,117,207	18,998,739	0
5	शिवहर	26,157,880	10,320,000	0
6	बक्सर	29,503,894	1,808,694	0
7	मुंगेर	79,548,540	12,272,400	0
8	किशनगंज	28,194,646	0	0
9	भोजपुर	59,706,368	0	0
0	अरवल	13,490,140	0	0
1	भागलपुर	182,709,260	0	0
2	वैशाली	92,756,659	13,760,000	0
3	रोहतास	256,420,736	72,240,000	0
4	शेखपुरा	62,415,230	10,338,000	0
5	बेगुसराय	14,607,680	10,320,000	0
6	लखीसराय	49,620,230	10,320,000	0
7	बांका	28,006,470	3,440,000	0
8	जहानाबाद	67,898,500	0	0
	योग	**5,282,813,889**	**652,967,446**	**201,395,083**
9	सिंचाई भवन	3,975,478,295	548,680,178	290,014,286
	कुल योग	**9,258,292,184**	**1,201,647,624**	**491,409,369**

निदेश दिया गया कि जिन जिलों में उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा AC/DC विपत्र की राशि समायोजन हेतु लंबित है, उसे विभाग एवं महालेखाकार कार्यालय से समन्वय स्थापित कर समायोजन शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सभी जिला कल्याण पदाधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी। 15.10.18

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव,
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–8/डी0(रोस्टर)मासिक बैठक–35–22/2018 2515 पटना, दिनांक– 15.10.18

प्रतिलिपिः–निदेशक/संयुक्त सचिव/अपर सचिव/उप निदेशक, मुख्यालय/सभी सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 15.10.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8/डी0(रोस्टर)मासिक बैठक–35–22/2018 2515 पटना, दिनांक– 15.10.18

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 15.10.18

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–8/डी0(रोस्टर)मासिक बैठक–35–22/2018 -2515 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। 15.10.18

सरकार के सचिव।